उत्तराखण्ड शासन
राजस्व विभाग
संख्याः 95 / XVIII(2) / 2010
देहरादूनः दिनांकः // जनवरी, 2010

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 वर्ष 1904) सपठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 230, 294 तथा धारा 344 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 116–ट का प्रतिस्थापन।

2 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 116–ट के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

..........2

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

116–ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क) शासन द्वारा प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा और सम्बन्धित आवेदन कर्ता को यथा स्थिति सूचित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारित न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। शासन द्वारा दी गयी अनुमति शासनादेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

116–ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क):– शासन द्वारा प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा और सम्बन्धित आवेदन कर्ता को यथास्थिति सूचित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारित न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। शासन द्वारा दी गयी अनुमति शासनादेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी ;

परन्तु यह कि जहॉ ऐसी भूमि का बैनामा अपरिहार्य कारणों से अनुमति की वैधता अवधि में निष्पादित न हो सका हो, वहॉ, शासन, शपथपत्र में उल्लिखित ऐसे अपरिहार्य कारणों पर विशिष्ट मामलों पर सम्यक विचारोपरान्त अनुमति की वैधता अवधि को छः छः माह के लिए दो बार तक अर्थात कुल एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकेगा।

नियम 116–ठ का प्रतिस्थापन।

3 उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 116–ठ के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

116–ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख) कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ पत्र कि क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा,

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

116–ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख):– कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ पत्र कि क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, आवेदन पत्र प्रपत्र–'ख' के

............3

आवेदन पत्र प्रपत्र-'ख' के साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझे उस पर जॉच करायेंगे और प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए (speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को लिखित रूप से सूचित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारण न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगा। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा-154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही क्रय की जा सकती है।

साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझे उस पर जॉच करायेंगे और प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए (speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को लिखित रूप से सूचित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारण न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी ;

परन्तु यह कि जहॉ ऐसी भूमि का बैनामा अपरिहार्य कारणों से अनुमति की वैधता अवधि में निष्पादित न हो सका हो, वहॉ, शासन, शपथपत्र में उल्लिखित ऐसे अपरिहार्य कारणों पर विशिष्ट मामलों पर सम्यक विचारोपरान्त अनुमति की वैधता अवधि को छः छः माह के लिए दो बार तक अर्थात कुल एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकेगा। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही क्रय की जा सकेगी।

आज्ञा से,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 95 XXVIII(II) /2010 एवं तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— आयुक्त, कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4— महानिबन्धक, निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड।
5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
7— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नियमावली को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—4 (खण्ड ख) दिनांक—11.1.2010 में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 मुद्रित प्रतियां प्राथमिकता के आधार पर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।